अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र

Andaman And Nicobar Gazette

सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

सं. 344, पोर्ट ब्लेयर, गुरूवार, 22 दिसम्बर, 2011

No. 344, Port Blair, Thursday, December 22, 2011

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय
अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011

सं. 326/2011/फा. सं. 4–21/2011–लो.नि.वि.— भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के दिनांक 21 फरवरी, 1985 के अधिसूचना सं. यू–14039/2/83–ए.एन.एल. और संघ लोक सेवा आयोग के दिनांक 15 जून 2011 के पत्र सं. एफ. 3/30(26)/2010 आर. आर. के साथ पठित संविधान की अनुच्छेद 309 में प्रयुक्त शर्त द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, एतद्द्वारा नगर एवं ग्राम योजना विभाग, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन में योजना सहायक के वर्ग 'ख' अराजपत्रित पद में भर्ती पद्धति विनियम द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :–

(i) यह नियम अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, नगर एवं ग्राम योजना विभाग में योजना सहायक के वर्ग 'ख' अराजपत्रित पद भर्ती नियम, 2011 कहा जाएगा।

(ii) ये राजपत्र में उसके प्रकाशन की तिथि पर लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण और वेतनमान :–

उसमें संलग्न उक्त पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान का उल्लेख इन नियमों के साथ अनुलग्न अनुसूची के पैरा 2, 3 और 4 में होगा ।

3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएँ :–

भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएँ और उक्त पद से संबंधित अन्य मामलों का उल्लेख उक्त अनुसूची के पैरा 5 से 14 में होगा ।

4. अनर्हताएँ :–

कोई भी व्यक्ति,

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो, जिसका/जिसकी पति/पत्नी जीवित है । या

(ख) जिसका/जिसकी पति/पत्नी जीवित रहते हुए किसी अन्य से विवाह किया हो, उक्त पद में नियुक्ति के लिए अयोग्य होगा :

बशर्ते कि, उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, यदि संतुष्ट हो कि इस प्रकार के विवाह, इस प्रकार के व्यक्ति और विवाह के प्रति अन्य पक्ष पर लागू वैयक्तिक कानून के तहत अनुज्ञेय है या इस प्रकार के विवाह के लिए कोई अन्य आधार हैं, इन नियमों के प्रचालन में ऐसा करने से छूट दे सकता है ।

5. छूट देने का अधिकार :–

जहाँ उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह यह मत रखते हैं कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वे आदेश द्वारा, लिखित में कारण अभिलेख कर किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के सम्बंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दे सकता है ।

6. अपवाद :–

इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेश श्रेणियों के व्यक्तियों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आवश्यक रूप से प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा के छूट तथा अन्य रियायतों पर इन नियमों का कोई प्रभाव नहीं होगा ।

भूपिन्द्र सिंह

ले. जनरल (सेवा निवृत्त) उप राज्यपाल
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ।

उप राज्यपाल, अ. तथा नि. द्वीप समूह के आदेश द्वारा तथा उनके नाम पर,

ह./–
(के. हमजा)
संयुक्त सचिव (लो.नि.वि.)

अनुसूची –I
नगर एवं ग्राम योजना विभाग, अ. तथा नि. प्रशासन में योजना सहायक के पद के लिए भर्ती नियमावली

1.	पदनाम	**योजना सहायक**
2.	पद संख्या	13 (तेरह)* (2011) * कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तनीय
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'ख', राजपत्रित, अलिपिक वर्गीय
4.	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान	वे.बै.– 2 ₹ 9300– 34800 (ग्रेड वेतन - ₹ 4200)
5.	चयनपद या गैर–चयनपद	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्षों की छूट)। **नोट :** भारत में आयु सीमा के निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि, उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी (तथा असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणीपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभार, लाहौल एवं स्फीति जिला तथा पंगी उप–प्रभाग, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप में निर्धारित अंतिम तिथि नहीं होगी)
7.	सीधी भर्ती हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएँ	**अनिवार्य :–** **क.** 1. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से योजना में स्नातक उपाधि । 2. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वास्तुशास्त्र में स्नातक उपाधि या भारतीय वास्तुक संस्थान द्वारा आयोजित एआईआईए (भाग ए तथा बी) परीक्षा उत्तीर्ण हो । 3. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि या अभियांत्रिकी संस्थान (भारत) के भाग ए एवं बी परीक्षा उत्तीर्ण हो । **ख.** योजना या वास्तुशास्त्र या सिविल अभियांत्रिकी में कम से कम एक वर्ष का व्यावसायिक अनुभव । **वांछनीय :–** भौगोलिक सूचना प्रणाली सॉफ्टवेयर का कार्यसाधक ज्ञान ।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगी ?	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	2 (दो) वर्ष

10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । **नोट :** पदधारी के एक वर्ष या उससे अधिक समयावधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर या लम्बी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के तहत दूर/अलग रहने के कारण हुई रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्तियों के आधार पर भरा जा सकता है । क. 1) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद ग्रहण करता हो; या 2) वे.बै.– 1 ₹ 34800 से ₹ 20200 तथा ग्रेड वेतन - ₹ 2800 के पद में 6 वर्षों की नियमित सेवा की हो । ख) पैरा 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु विहित अर्हताएँ एवं अनुभव रखता हो ।
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है	लागू नहीं
13.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसका गठन क्या है ?	**स्थायीकरण के लिए विचार करने हेतु वर्ग 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति इस प्रकार है :–** 1. मुख्य सचिव , अंडमान तथा निकोबार प्रशासन – अध्यक्ष 2. सचिव (श.वि.) – सदस्य 3. नगर एवं ग्राम योजनाकार – सदस्य
14.	परिस्थितियाँ जिसमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श क्रिया जाना है	लागू नहीं
15.	कार्य विवरण	अनुसूची –I के अनुलग्नक अनुसार संलग्न

अनुसूची –I का अनुलग्नक

क. क्षेत्रीय विकास योजनाएँ, महायोजनाएँ, विस्तृत विकास योजनाएँ तथा शहरी नवीकरण योजनाएँ इत्यादि के निर्माण में नगर एवं ग्राम योजनाकार तथा सह–नगर एवं ग्राम योजनाकार की सहायता करना ।

ख. उपरोक्त योजनाओं के निर्माण हेतु प्राथमिक एवं गौण आँकड़ा एकत्र करना ।

ग. कार्यस्थलों का निरीक्षण तथा भवन नक्शा के योजना अनुमति एवं अनुमोदन जारी हेतु प्राप्त आवेदन की जाँच ।

घ. मास्टर प्लान तथा विस्तृत विकास योजनाओं में विचार किए गए परियोजनाओं के लिए डी.पी.आर.एस. का निर्माण ।

ड.. अप्राधिकृत विकास/निर्माण का पता लगाने के लिए बस्ती के निर्दिष्ट क्षेत्रों का निरीक्षण ।

अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र

Andaman And Nicobar Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

सं. 344, पोर्ट ब्लेयर, गुरुवार, 22 दिसम्बर, 2011

No. 344, Port Blair, Thursday, December 22, 2011

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION

सचिवालय

SECRETARIAT

NOTIFICATION

Port Blair, dated the 22nd December, 2011

No. 326/2011/F.No.4-21/2011-PWD.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, read with the Govt. of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi Notification No. U-14039/2/83-ANL, dated 21st February, 1985, the Hon'ble Lieutenant Governor, Andaman & Nicobar Islands hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'B', Non-Gazetted post of Planning Assistant in the Town and Country Planning Department, Andaman & Nicobar Administration, namely:-

1. Short title and commencement:-

(i) These rules may be called the Andaman & Nicobar Administration Group 'B', Non-Gazetted post of Planning Assistant in the Town and Country Planning Department Recruitment Rules, 2011.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and the scale of pay:-

The number of said posts, the classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in paras 2, 3 & 4 of the Schedule annexed hereto.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications:-

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in paras 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification:-

No person—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. Power to relax:-

Where the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands is of opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person(s).

6. Savings:-

Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the candidates belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other specified categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Lt. Gen. (Retd.) Bhopinder Singh
Lieutenant Governor,
Andaman and Nicobar Islands.

By order and in the name of the Lieutenant Governor,
Andaman and Nicobar Islands.

Sd./-
(K. Hamza)
Deputy Secretary (PWD)

SCHEDULE – I

FRAMING OF RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF PLANNING ASSISTANT IN THE DEPARTMENT OF TOWN & COUNTRY PLANNING, A & N ADMINISTRATION

1.	Name of post	**Planning Assistant**
2.	No. of posts	13 (thirteen) 2011* *(Subject to variation dependent on workload)
3.	Classification	General Central Services Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial
4.	Pay Band and Grade Pay	PB-2 ₹ 9300-34800 + GP ₹ 4200
5.	Whether selection post or non-selection post	Not applicable
6.	Age limit for direct recruits	Not exceeding 30 years (Relaxable for Govt. Servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Govt.) The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	**Essential:** **A.** (i) Bachelor Degree in Planning from a recognized University (or) (ii) Bachelor Degree in Architecture from a recognized University or having passed AIIA (Part A & B) examination conducted by Indian Institute of Architects & recognized by Council of Architecture (or) (iii) Bachelor Degree in Civil Engineering from a recognized University or having passed Part A & B examination of Institution of Engineering (India) and **B.** Atleast one year professional experience in Planning or Architecture or Civil Engineering **Desirable :** Working knowledge of Geographical Information System Software.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees ?	Not applicable
9.	Period of probation, if any	02 years
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the posts to be filled by various methods	100% by direct recruitment Note : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or on long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government. A. (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with 06 years regular service in the post in the PB-1 ₹ 5200-20200 with Grade Pay ₹ 2800 B. Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under para 7.

11.	In case of recruitment by promotion/ deputation /transfer, grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made	Not applicable
12.	If a DPC exists, what is its composition?	**Group 'B' DPC for considering confirmation consists of :-** 1. Chief Secretary, A & N Admn. - Chairman 2. Secretary (UD) - Member 3. Town & Country Planner - Member
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable
14.	Job Description	Attached as Annexure to Schedule-I

Annexure to Schedule-I

a. Assisting the Town & Country Planner and Associate Town & Country Planner in the preparation of Regional Development Plans, Master Plans, Detailed Development Plans and Urban Renewal Plans etc.

b. Collection of Primary and Secondary Data for the preparation of the above plans.

c. Inspection of sites and scrutiny of application received for issue of Planning Permission and Approval of Building Plans.

d. Preparation of DPRs for the projects contemplated in the Master Plan and in the Detailed Development Plans.

e. Inspection of designated areas of the settlement for detection of unauthorized developments/constructions.

/2011 125 Copies (SB-HCL-VIII)